

राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. स. 3-2(11)/स्था/अभि/2017/371-395

जयपुर, दिनांक : 28.04.2023

आदेश

अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश 3188-3248 दिनांक 31.03.2023 द्वारा 9 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति दी जाकर इनको अपने गृह जिले में प्रशिक्षण हेतु लगाया गया है। उक्त सहायक अभियोजन अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि 15 मई, 2023 तक बढ़ाई जाती है।

(रवि शर्मा)  
निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि)
3. संबंधित जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
5. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
6. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
8. संस्थापन शाखा (अराजपत्रित)/विधि शाखा/गोपनीय शाखा/लेखा शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rav Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.04.28 17:23:02 IST  
Reason: Approved

